



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, सोमवार, 13 जुलाई, 2026 ई0

आषाढ़ 22, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

शहरी विकास अनुभाग-03

संख्या- 1796/IV(3)/2026-01(40)/2012

देहरादून, 13 जुलाई, 2026

अधिसूचना

प0 आ0-60

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 9 की उपधारा 1 के खण्ड 'घ' में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित व्यक्तियों को जिला नैनीताल की नगर पंचायत, लालकुंआ में नाम निर्दिष्ट सदस्य के रूप में नामित करते हैं:-

क्र० सं०	नाम/पता	नगर पंचायत का नाम
1.	श्री विनोद श्रीवास्तव पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद, लालकुंआ, नैनीताल। 7037225555	नगर पंचायत, लालकुंआ
2.	श्री गौरव कपूर पुत्र स्व० श्री किशनलाल कपूर, लालकुंआ, नैनीताल। 9058189893	नगर पंचायत, लालकुंआ
3.	श्रीमती तारा पाण्डे पत्नी श्री महेश चन्द्र पाण्डे, लालकुंआ, नैनीताल। 9368985572	नगर पंचायत, लालकुंआ

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार शुक्ल,

उप सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 35/आ0श0वि0/274-2026-100+100 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।